"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 22, शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-7/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र. (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	इंदिरा गांधी वार्ड
		2	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	मौलाना आजाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	-	-
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		11	महात्मा गांधी वार्ड
		13	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	अकबर गंज वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		8	शहीद भगत सिंह वार्ड
		12	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-7/2016/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2016/18, दिनांक 06-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 6th December 2016

NOTIFICATION

No. F 1-7/2016/18 .— The list of the Reservation of Wards for Municipal Council Sarangarh, Dist-Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	1	Indira Gandhi Ward
		2	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Dr. Shyama Prasad Mukherjee Ward
3.	Scheduled Tribes	10	Moulana Azad Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	-
5.	Other Backward Class	9	Swami Vivekanand Ward
		11	Mahatma Gandhi Ward
		13	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Akbar Ganz Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Female	7	Lal Bahadur Shastri Ward
		8	Shahid Bhagat Singh Ward
		12	Dr. Rajendra Prasad Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.